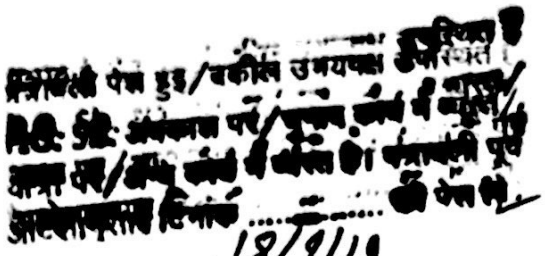

26/[illegible]	[illegible] [illegible] हाजिर। [illegible] हेतु [illegible] नहीं किया जाता है। (दिनांक [illegible] 13/8/19 को पेश हो) Sd/-
13-8-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29-8-19 को पेश हो Sd/-
29/8/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित/ [illegible] आदेशार्थ दिनांक 18/9/19 को पेश हो.
18/9/19	पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 CPC बाबत अपील के दौरान स्थगन आदेश जारी करने साबित होने व विधिसम्मत होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18/9/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * मुख्यालय सीकर (राज.) *

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– प्रार्थना–पत्र / 29 / 2018

महेन्द्र सिंह उम्र 13 वर्ष (अवयस्क) पुत्र सम्पत कुमार जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता उर्मिला देवी धर्मपत्नी सम्पत कुमार जाति जाट निवासिनी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. सुखी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी स्वर्गीय रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर
2. ग्राम पंचायत, अनोखूं, पंचायत समिति धोद जिला सीकर
3. हल्का पटवारी, पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर
4. तहसीलदार, धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार

–अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अपील के दौरान स्थगन आदेश जारी करने

उपस्थिति–

1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 18.09.2019

1. प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अपील के दौरान स्थगन आदेश जारी करने के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी पे माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष बहुत ही ठोस आधारों पर अपील प्रस्तुत कर दी है। जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्णतया आशा है। ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा सं. 111 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा सं. 112 रकबा 1.63 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 118 रकबा 1.50 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों में से खसरा सं. 111 व 112 में प्रार्थी का दादा रतनाराम 1/4 हिस्से का व खसरा सं. 118 में 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज था जिसने अपने कब्जा काश्त खातेदारी की उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी को उपहार में देकर दिनांक 29.09.2009 को उपहार प्रलेख प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया था। इन कृषि भूमियों के अलावा उसी उपहार प्रलेख के जरिये ग्राम अनोखूं की तन में अवस्थित अपने कब्जा काश्त हक अधिकार की भूमियां का एक ही उपहार प्रलेख पंजीकृत करवाया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी को प्रार्थी ने अपनी प्राकृतिक संरक्षिका माता के जरिये उपहार पत्र की प्रतिलिपि दे दी थी परन्तु तत्कालीन पटवार हल्का ने ग्राम अनोखूं की तन में अवस्थित कृषि भूमियों का उपहार प्रलेख के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया था

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

18/4/19

व ग्राम पंचायत ने स्वीकृत कर दिया था परन्तु दुर्भावना से ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमियों का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। जबकि दोनों ही गांवों का हल्का पटवारी एक ही था व उपहार प्रलेख का दस्तावेज भी एक ही था। इसके पश्चात् उक्त हल्का पटवारी ने ग्राम अनोखू व ग्राम दीपपुरा चारणान की नामान्तरकरण से परिवर्तित जमाबंदी की नकल प्रार्थी की माता को दी जिसमें हल्का पटवारी ने ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमि का नामान्तरकरण सं. 150 के द्वारा प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज किया जाना अंकित कर रखा था। जिस कारण प्रार्थी की माता को यह विश्वास हो गया कि "सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी जमाबंदी सही है।" परन्तु दिनांक 24.05.2019 को जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि– "तत्कालीन हल्का पटवारी ने राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं. 150 का फर्जी नोट लगाया था व उपहार प्रलेख का नामान्तकरण ही दर्ज नहीं किया तथा नामान्तकरण सं. 150 किसी रहननामा का था। खसरा सं. 111 व 112 की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का नाम साजसी व्यक्तियों ने दर्ज करवा लिया व खसरा सं. 111, 112 व 118 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 के जरिये भू–माफिया गिरोह के व्यक्ति रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 एवं उसके साजशी व्यक्ति अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो अवयस्क प्रार्थी को इतनी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकेगी। प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा माननीय न्यायालय हाजा द्वारा किया जाना प्रार्थनीय है जिसके लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की ही होती है। अतः आवेदन मय शपथ–पत्र न्याय शुल्क प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं. 178 की कियान्विति को स्थगित करके, अप्रार्थी सं. 1 को जरिये स्थगन प्रतिबंधित फरमाया जावे कि–"कृषि भूमि खसरा सं. 111, 112 व 118 वाके ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर को रहन, बय, मुन्तकिल करने, राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करवाने एवं अप्रार्थी सं. 4 किसी भी प्रकार का कोई अन्तरण प्रलेख पंजीकृत करने व अप्रार्थी सं. 4 राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करने से तादौराने अपील प्रतिबंधित रहे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा इन कृषि भूमियों को वेस्ट, डेमेज नहीं करें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 बावजूद तामील (जरिये रजिस्टर्ड डाक) अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेखित कथनों को दोहराया। यह कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की ही होती है। अतः प्रार्थी के पक्ष में ही टी.आई जारी कर अप्रार्थीगण को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तादौराने अपील प्रतिबंधित किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

4. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पंजीकृत उपहार दस्तावेज के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 111, 112 व 118 ग्राम दीपपुरा चारणान में अपने हिस्से का उपहार रतना पुत्र चिमना जाति जाट निवासी दीपपुरा चारणान तहसील व जिला सीकर ने प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र सम्पतसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता उर्मिलादेवी जाति जाट निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील एवं जिला सीकर वर्तमान तहसील धोद के पक्ष में दिनांक 29.09.2009 को उपपंजीयक कार्यालय, सीकर में कराया गया था, जिसका नामान्तरकरण नहीं भरा गया। इस कारण भूमि उपहारकर्ता के नाम ही दर्ज चलती रही। तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 20.05.2014 से खसरा सं. 111 व 112 में रतना पुत्र चिमना के 1/4 हिस्से की खातेदारी सुखीदेवी पत्नी रतनाराम जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज कर दी गई। उपहार पत्र में दर्ज ग्राम अनोखूं के खसरा सं. 924, 925, 927 व 928 किता 4 कुल रकबा 11.85 हैक्टेयर में उपहार-पत्र के मुताबिक उपहारकर्ता के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के अनुसार खसरा सं. 111, 112 किता 2 कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर में सुखीदेवी पत्नी रतनाराम 1/4 हिस्से की खातेदार दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2072-75 के अनुसार खसरा सं. 118 रकबा 1.50 हैक्टेयर में रतना पुत्र चिमना का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपहार-पत्र में दर्ज ग्राम अनोखूं की भूमि तो जरिये नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उसी उपहार-पत्र में दर्ज दीपपुरा चारणान की भूमि का उपहार-पत्र में मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। अतः पृथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की ही होगी।

5. अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अपील के दौरान स्थगन आदेश जारी करने साबित होने व विधिसम्मत होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 111 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा सं. 112 रकबा 1.63 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 118 रकबा 1.50 हैक्टेयर वाके ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर की मूल अपील के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner